भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय,गोड्डा।

आर0ई0आर केश नं0–01/2018–2019

अंचल अधिकारी,सुन्दरपहाड़ी

बनाम्

राजेश रजक

आदेश

10/07/2025

विपक्षी लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं एवं सुनवाई का अंतिम मौका देने के बावजूद भी सुनवाई के निर्धारित तिथि को विपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान वाद की प्रक्रिया अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के पत्रांक–380/रा0,दिनांक–24.07.2018 के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् मौजा–बड़ा धमनी थाना नं0–07 के जमाबंदी नं0–28 के अंदर दाग नं0–1037 कुल रकवा–04–05–06 धुर जमीन में से रकवा–00–02–03 धुर जमीन से विपक्षी राजेश रजक पे0 बाड़ी रजक सा0–बड़ा धमनी थाना–सुन्दरपहाड़ी जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए प्रारंम्भ किया गया है।

अंचल अधिकारी,सुन्दरपहाड़ी का प्रतिवेदन है कि प्रश्नगत जमीन मौजा–बड़ा धमनी नं0–07 जमाबंदी सं0–28 के अंदर दाग नं0–1037 रकवा–04–05–06 धुर जमीन जो सर्वे पर्चा में दरबारी मोहली के नाम से दर्ज है पर राजेश रजक पिता–बाड़ी रजक सा0–बड़ा धमनी थाना–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा द्वारा अवैध रूप से मकान का निर्माण करवाया जा रहा है।

अंचल अधिकारी,सुन्दरपहाड़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए लेकिन लम्बे अवधि के बाद भी विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। लम्बी अवधि के **बाद** भी विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये जाने के कारण **विषयगत** जमीन के सम्बन्ध में अंचल अधिकारी,सुन्दरपहाड़ी से पुनः जाँच प्रति**वेदन** की माँग की गयी। जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी के पत्रांक–336/रा0, दिनांक–20.05.2025 से प्राप्त है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–बड़ा धमनी थाना नं0–07 जमाबंदी सं0–28 दाग नं0–1037 कुल रकवा–04–05–06 धुर में से 1552 वर्ग फीट लगभग–00–02–03 धुर जमीन पर विपक्षी राजेश रजक के द्वारा अवैध रूप से दखल कब्जा कर मकान बनाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन मौजा–बड़ा धमनी नं0–07 जमाबंदी सं0–38 दाग नं0–1037 कुल रकवा–04–05–06 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दरवारी मोहली के नाम से दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन रैयती जमीन है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत् रैयती जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विपक्षी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन किया गया है। चूँकि विपक्षी प्रायः अनुपस्थित रहे है एवं उनके ओर से अपना कारण पृच्छा भी दाखिल नहीं किया

10/07/25

गया है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है। अतएव संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियाँ का उपयोग करते हुए विपक्षी को मौजा बड़ा धमनी नं0–07 जमावंदी सं0–28 दाग नं0–1037 रकवा–1552 वर्गफीट लगभग–00–02–03 धुर जमीन से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी को आदेश दिया जाता है कि उक्त जमीन पर जमाबंदी रैयत के वर्त्तमान वारिश को दखल दिहानी दिलाकर न्यायालय को अनुपालन से अवगत करावे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी को भेजे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

10/7/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा

10/7/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.08.29 12:53:07 +05:30
Location: 192.168.29.7